न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजि० शाहाबाद

प्रकरण सं० 110/2019
प्रकरण दर्ज दि० 12-07-2019
प्रकरण निर्णय दि० 25-11-2019

उनवान

1. गिरिराज पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी- निहालपुरा तह० बमवा जिला- बारां :- प्रार्थी

बनाम

1. रामफूल पुत्र गणेश
2. रामफूल पुत्र गणेश
3. बिरधीचंद } पि० रामफूल जाति मीना निवासी- निहालपुरा तह० बमवा जिला बारां
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बमवा जिला-बारां

:- अप्रार्थीगण

" प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा "

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश करते हुए बावत तकसीम व उद्घोषणा का पेश किया कि ग्राम निहालपुरा तह० बमवा जिला बारां स्थित खाता सं० नया 235 व खाता सं० पुराना 216 के कुल खसरा किता 29 कुल रकबा 7.64 है० में प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा राजस्व जमाबंदी सं० 2074-2077 में दर्ज है पिता रामफूल के दर्ज हिस्से की भूमि के 1/3 हिस्सा पर प्रार्थी काबिज है भूमि उपरोक्त का विधिवत तकसीम नहीं हुआ है सह खातेदार मन भाइ से बाट कर हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन वर्तमान में आये दिन भूमि सम्बन्धी लाभ उठाने के लिये विवाद उत्पन्न होता रहता है अप्रार्थी एक भूमि का तकसीम करने से इन्कार हो गया तथा अप्रार्थी 2,3 से साज बाज कर अपने नाम हस्तांतरण करवा ली प्रार्थी को भूमि से नाम हटाकर बेदखल की भूमि अपने दोनो पुत्रो के सहयोग से प्रार्थी का भूमि से बेदखल करने पर आमादा है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थी प्रा० पत्र पर प्रार्थी व प्रार्थी वकील को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार दर्ज नही होना पाया गया लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी 2,3 के पिता का नाम रामफूल दर्ज है अप्रार्थीगण प्रा० खातेदार भूमि होने से सहखातेदार काबिज काश्तकार है

Scanned by CamScanner

मुतदाविया से बेदखल करने पर आमादा है। प्रथमदृष्टया फौरी केस सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्धांत प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 16.8.14 तक इस आशय से पाबंद किया गया कि विवादित आराजी के संबंध में विवाद, मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड एडी कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी जरिये वकील सुनवाई की गई।

अप्रार्थी एक जरिये वकील ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि भूमि मुतदाविया में अप्रार्थी सं. एक रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा है स्वअर्जित, काबिज काश्त की खातेदारी भूमि है प्रार्थी का भूमि मुतदाविया के 1/2 हिस्सा नहीं है कोई कब्जा काश्त नहीं है। किसी तरह का कब्जा नहीं है न ही तकासीमा करवाने का कानूनन कोई अधिकार है, अप्रार्थी नं. एक भूमि मुतदाविया का खातेदार काश्तकार है उसे भूमि रहन बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथमा फौरी केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में है। भूमि मुतदाविया के सिवाय व मुकाबले प्रार्थी विपक्षीगण के पक्ष में है। भूमि मुतदाविया अप्रार्थी एक की स्वअर्जित भूमि है पिता के जीवित रहते हुये पुत्र पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। प्रार्थी ने हिस्से 1/2 का तकासीमा भी भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं किया है अप्रार्थी का भाग लेकिन पारिवारिक सजरा खानदान प्रदर्शित नहीं किया है, प्रार्थी का 1/10 हिस्सा होगा, भूमि सजरा खानदान के भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा होगा, भूमि विपक्षी नं. एक के सही हिस्सेदार रहन है प्रार्थी ने बदनीयति पूर्वक विपक्षी नं. एक के धोखा दिया है प्रार्थी को धोखाधड़ी करके न्यायालय द्वारा को धोखा दिया है प्रार्थी शराब पीने का आदि है व गलत असामाजिक तत्वों के साथ घूमता है। कोई काम धंधा नहीं करता प्रार्थी ने जमीन बेचने के नाम से रुपये उधार लेकर शराब नशे में बर्बाद कर चुका है। प्रार्थी ने दावे में अधिकार की घोषणा नहीं चाही है केवल तकासीमा चाहा है। बिना घोषणा की घोषणा नहीं चाही है केवल तकासीमा चाहा है। बिना घोषणा अधिकारात करके दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रार्थी / अप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी, बहस में प्रार्थी वकील ने भूमि मुतदाविया में पिता की विरासत से हिस्से 1/2 होना जाहिर किया व भूमि का तकासीमा कर हिस्सा अलग करने तक अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के फैसले तक कायम करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष बदनीयति पूर्वक विपक्षी अप्रार्थी एक के सही हिस्सेदारान को पक्षकार नहीं बनाया जाकर

गलत तथ्यों के दावा/प्रा० पत्र प्रस्तुत कर धोखा किया है। प्रार्थी शराबी है गलत असामाजिक तत्वों के साथ घूमता है कोई काम नहीं करता। प्रार्थी ने जमीन बेचने के नाम पर उधार रुपये लेकर शराब केनश मे बर्बाद कर चुका है। बिना खातेदारी दर्ज रिकार्ड के अप्रार्थी को उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि मे निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

हमने प्रार्थी/अप्रार्थी की बहस पर मनन किया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया, राजस्व ग्राम [illegible] जमाबंदी सं० 2074-77 के खाता सं० 235 का अवलोकन किया है वर्णित मे जिनको प्रार्थी ने दावा/प्रा०पत्र मे अंकित किया है वर्णित भूमि मे प्रार्थी खातेदार नहीं है। राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध बिना किसी स्वामित्व के प्रमाणीकृत दस्तावेज के स्थगन नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी ने अप्रार्थी/पिता की भूमि मे से पुत्र/पिता के अधिकार के तहत हिस्सा होना जाहिर कर प्रथम दृष्टया स्थगन प्राप्त किया है प्रार्थी ने पिता/पुत्र के सम्बन्ध बाबत कोई दस्तावेजात, सजरा खान दान प्रस्तुत नहीं किया, अप्रार्थी ने प्रार्थी प्रा०पत्र के विरुद्ध मे प्रस्तुत जवाब प्रा०पत्र मे सजरा खान प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत प्रार्थी को भूमि-मुतदाविया मे मात्र 1/10 हिस्सा होना प्रकट किया है लेकिन साथ ही प्रार्थी के शराबी होने का आदी होना, असामाजिक तत्वों के साथ घूमना, जमीन बेचने के नाम रुपये उधार लेकर शराब मे बर्बाद करना प्रकट किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अ०नि० प्रा०पत्र मे वर्णित तथ्यों की यानि पिता की दर्ज खातेदारी भूमि पैतृक होने एवं उसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा होने प्रमाणिकता/सत्यता बाबत कोई

Scanned by CamScanner

प्रमाणित दस्तावेज ~~कोई~~ प्रस्तुत नहीं किये। जिनके आधार पर रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/प्रार्थना पत्र अ०नि० अस्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः आदेश है कि अदालती प्रकरण नानगराम बनाम रामफूल प्र०सं० 10/2019 में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 09-07-2019 कैंसिल की जाती है। प्रकरण अ०नि० पोषणीय नहीं होने से एवं सुविधा का सन्तुलन अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

25/11/19

(पिंकी मीणा)
उपजिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2019.12.17 13:21:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: